न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम नारायणराम पुत्र हेमाराम कुमावत निवासी टोरड़ा

प्रा.पत्र नम्बर 38/2020 **GCMS No.2022/81**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
17/6/2022	अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। प्रार्थी राज पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से श्री ऋषभ शर्मा अधिवक्ता उपस्थित एवं स्वय नारायणराम उपस्थित। अप्रार्थी नारायणराम ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 3579 / 2501 रकबा 0.4250 हैक्टर स्थित चली आ रही है, जिसमें अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि आई हुई है, अप्रार्थी नारायणराम अपनी कृषि भूमि को प्राधिकृत अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी के यहॉ प्रस्तुत करने पर दिनॉक 21.02.2022 को अखबार स्याहा में प्रकाशित होकर सुनवाई रखी गई तथा पटवारी हल्का कुचामनसिटी एवं तहसीलदार कुचामन सिटी के यहॉ से दिनॉक 07.03.2022 को प्ररूप 6 में रिपोर्ट भिजवाई गई तत्पश्चात प्राधिकृत अधिकारी आयुक्त नगरपरिषद कुचामनसिटी से 01.6.2022 को आदेश जारी किये गये। इस प्रकार अप्रार्थी ने कृषि से अकृषि प्रयोजन करा लिया है अतः जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा 23.03.2022 खारिज फरमाई जावे। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्रकरण प्रस्तुत होने से पूर्व अप्रार्थी ने प्राधिकृत अधिकारी के यहॉ पत्रावली प्रस्तुत की गई, पटवारी हल्का कुचामनसिटी एवं तहसीलदार कुचामन सिटी के यहॉ से दिनॉक 07.03.2022 को प्ररूप 6 में रिपोर्ट भिजवाई गई, जिसकी पुष्टि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ दस्तावेजो से होती है तथा अप्रार्थी की भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि से गैर कृषि प्रयोजन के लिए दिनॉक 01.06.2022 को अनुज्ञा प्रारूप–11 में जारी हो चुकी है। अप्रार्थी को उक्त भूमि का नामान्तरकरण कराये जाने हेतु निवेदन किया है। उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि से प्रकरण में आगे की कार्यवाही शेष नही है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र साबित नही है तथा इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 23.03.2022 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)	